30.10.25

Notepress by Me
Not 30/10/2025
(Adv. Nikhan Singh Baur)

वादिया की ओर से वकील वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील वादिया द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत कर पुनः वादपत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये नोट प्रैस के आधार पर वादपत्र वापिस लिये जाने का निवेदन किया गया। अतः वकील वादिया का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः वादपत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये नोट प्रैस के आधार पर वादिया का वादपत्र इसी स्तर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रिया बंसल)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना